



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं0 पटना 818) पटना, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई, 2026

एस0ओ0 128, दिनांक 17 जुलाई 2026—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम-61) की धारा-36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की सहमति से श्री सूर्यकान्त तिवारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), श्री अमित कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर एवं श्री आनंद विश्वास धर दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के स्थानांतरण के फलस्वरूप निम्नांकित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मामलों के विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है:-

| क्रम सं0 | न्यायमंडल                 | अभिहित अनन्य विशेष न्यायालय                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I        | II                        | III                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.       | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 1. श्री ब्रिजेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।<br>(अनन्य विशेष न्यायालय सं0-II, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी))                                                                                    |
| 2.       | मुजफ्फरपुर                | 1. श्री अवधेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर।<br>(अनन्य विशेष न्यायालय सं0-I, मुजफ्फरपुर)<br>2. श्री आशुतोष कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर।<br>(अनन्य विशेष न्यायालय सं0-II, मुजफ्फरपुर) |

| क्रम सं० | न्यायमंडल               | अभिहित अनन्य विशेष न्यायालय                                                                                                          |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I        | II                      | III                                                                                                                                  |
| 3.       | पश्चिम चम्पारण (बेतिया) | 1. श्री नलिन कुमार पाण्डेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।<br>(अनन्य विशेष न्यायालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)) |

2. पूर्व निर्गत एतद्विषयक अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(सं०सं०-ए०/एक्ट-5/2023/5689/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव, बिहार।

17 जुलाई, 2026

एस०ओ० 128, दिनांक 17 जुलाई 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/एक्ट-5/2023/5689/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव, बिहार।

*The 17th July 2026*

S.O. 128 dated The 17<sup>th</sup> July 2026.— In exercise of powers conferred by Section-36(1) of The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act. 61 of 1985) the Government of Bihar, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna, consequent upon the transfer of Sri Suryakant Tiwary, District & Additional Sessions Judge, East Champaran, Motihari, Sri Amit Kumar Singh, District & Additional Sessions Judge, Muzaffarpur, Sri Narendra Pal Singh, District & Additional Sessions Judge, Muzaffarpur and Sri Anand Viswas Dhar Dubey, District Additional & Sessions Judge, West Champaran, Bettiah designate the courts of following District and Additional Sessions Judge as exclusive court for trial of cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

| Sl. No. | Judgeship                  | Designated Exclusive Special Court                                                                                                                       |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | II                         | III                                                                                                                                                      |
| 1.      | East Champaran at Motihari | 1. Sri Brijesh Kumar, District & Additional Sessions Judge, East Champaran, at Motihari.<br>(Exclusive Special Court No.-II, East Champaran at Motihari) |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Muzaffarpur               | <p>1. Sri Awdesk Kumar, District &amp; Additional Sessions Judge, Muzaffarpur.<br/>(Exclusive Special Court No.-I, Muzaffarpur)</p> <p>2. Sri Ashutosh Kumar Singh, District &amp; Additional Sessions Judge, Muzaffarpur.<br/>(Exclusive Special Court No.-II, Muzaffarpur)</p> |
| 3. | West Champaran at Bettiah | <p>Sri Nalin Kumar Pandey, District &amp; Additional Sessions Judge, West Champaran at Bettiah.<br/>(Exclusive Special Court, West Champaran at Bettiah)</p>                                                                                                                     |

2. The Notifications, issued earlier on the subject, are amended to this extent.
3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(File No.-A/Act -5/2023-5689/J.)

**By Order of the Governor of Bihar,**  
**Basno Shanker Mehrotra,**  
*Special Secretary-Cum-In-charge Secretary*  
*to the Government of Bihar.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 818-571+100-डी0टी0पी0।  
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>